

## अनुसूची 2

[ कृपया देखें धारा 2 (ज) ]  
पिछड़े वर्गों की सूची

(1) विलोपित	मायरा, रीनियार,	(26) विलोपित
(2) कागजी	पनसारी, मोदी, कसेरा,	(27) नहेंडी
(3) कमार (लोहार और कर्मकार)	केशरवानी, ठठेरा,	(28) शिवहरी
(4) कुशवाहा (कोईरी)	कलवार, (विहायुत	(29) नानार
(5) कोस्ता	कलवार), कलाल,	(30) नूत्रधार
(6) गद्दी	एराकी, पटवा,	(31) नुक्रियार
(7) घटवार	कमलापुरी वैश्य,	(32) विलोपित
(8) विलोपित	माहुरी वैश्य, अवध	(33) इमाई धर्मावलम्बी
(9) चनउ	बनिया, बगो वैश्य	(हरिजन)
(10) जदुपतिया	(बंगाली बनिया),	(34) इमाई धर्मावलम्बी
(11) जोगा (जुगी)	बनवाल, अग्रहर वैश्य,	(अन्य पिछड़ी जाति)
(12) तमोली	(पोद्दार, कसौधन) गंध	(35) कुन् (माहतो)
(13) तेली	बनिक, बाथन वैश्य	(36) पट (हिन्दू)
(14) देवहार	(21) विलोपित	(37) वगो।
(15) नालबंद (मुस्लिम)	(22) यादव (ग्वाला, अहीर,	(38) कुन्हेया
(16) विलोपित	गोरा, घोसी, मेहर,	(39) जट (हिन्दू) सहरसा,
(17) परधा	सदगोप, लक्ष्मी	सुनल, मधेपुरा और
(18) बड़ई	नारायण गोला	अन्या जिला के लिए
(19) बड़ई	(23) राजवंशी (रिनिया या	(40) जट (मुस्लिम) मधु-
(20) बनिया (सूढ़ी, हलवाई, मोदक)	पोलिया)	बन दरभंगा, सीता-
	(24) विलोपित	महो, खगड़िया एवं
	(25) रौतिया	अन्या जिला के लिए।

नोट : उन जाति तथा वर्गों को जिन्हें मुस्लिम नहीं लिखो गया है हिन्दू तथा मुसलमान दोनों जाति का समझना चाहिए, जैसे - तेली में दोनों हिन्दू तथा मुसलमान तेली।

1. बिहार अधिनियम 7/1994 द्वारा अनुसूची 2 के क्रमांक 36 भाट (हिन्दू) अंक कोष्ठक एवं शब्द जोड़ा गया।
2. बिहार अधिनियम 6/1996 द्वारा अनुसूची 2 में क्रमांक 36 के बाद 37 दागी एवं क्रमांक 20 में शब्द "पोद्दार" के बद शब्द "कसौधन" तथा क्रमांक 1, 8, 16, 21, 24, 26 एवं 32 पर अंक कोष्ठक एवं शब्द विलोपित।
3. संकल्प संख्या 135, दिनांक 4-9-1996 द्वारा अनुसूची 2 में क्रमांक 381 पर कुलहैया अंकित।
4. संकल्प संख्या 110, दिनांक 24-7-1997 द्वारा अनुसूची 2 के क्रमांक 20 पर बनिया वर्ग अन्तर्गत कसौधन के बाद नूत्रधारिक सम्मिलित।